भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 114] No. 114] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2009/आषाढ़ 16, 1931 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2009/ASADHA 16, 1931

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2009

सं. 2/11(5)/03-बी.ई.ई.-3.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 नामक प्रारूप विनियमों को, भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4, तारीख 12 जनवरी, 2009 में अधिसूचना सं0 2/11(5)/03-बीईई-3 तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 12 जनवरी, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थी; और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं; और इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब ब्यूरो, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित, धारा 58 की उपधारा

- (2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंग (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है।
- (ख) वितरण ट्रांसफार्मर' से भारत में विनिर्मित या वाणिज्यिक रूप से क्रय किया गया या विक्रय किया गया एक 11 के.वी. का 16, 25, 63, 100, 160 और 200 के.वी.ए. के मानक रेटिंग का तेल निमज्जित, वायु से शीतिलत, तीन फेज और दोहरा कुंडलित किया हुआ गैर मुद्रित प्रकार का वाह्य वितरण ट्रांसफार्मर अभिप्रेत है;
- (ग) ''लेबल'' से कोई लिखित, मुद्रित, चिह्मित, मुद्रांकित या चित्रित विषय अभिप्रेत है, जो वितरण ट्रांसफार्मर पर चिपकाया गया है या प्रकट है।
- (घ) "सितारा रेटिंग या सितारा स्तर" से वितरण ट्रांसफार्मर की ऊर्जा दक्षता को संप्रदर्शित करने के लिए ऊर्जा दक्षता का लेबल अभिप्रेत है जो सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि मानकों के आधार पर है जो वितरण ट्रांसफार्मर की 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की लोडिंग पर कुल हानि है।
- (2) उन शब्दों और पदो के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।


- 3. लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां (1) प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां संप्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्—
 - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;
 - (ख) ये उपकरण वितरण ट्रांसफार्मर है;
 - (ग) यह तेल भरित, प्राकृतिक शीतलित प्रकार का है ;
 - (घ) विनिर्माणकर्ता का नाम और ब्रांड;
 - (ङ) परीक्षित क्षमता के.वी.ए. में;
 - (च) वोल्टेज 11 के.वी. तक है;
 - (छ) 50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि वाट्स में; 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि वाट्स में;
 - (ज) स्टार लेवल;
 - (झ) निर्माण का वर्ष और मॉडल;
 - (ञ) ब्यूरो की प्राधिकार संख्या
- (2) डिजाइन, रंग, आकार और लेबल की अंतर्वस्तु वह होगी जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- 4. लेबलों को प्रदर्शित करने की समय-सीमा विनियम 3 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाले लेबल को इन विनियमों के प्रवर्तन में आने की तारीख से छह मास की अविध के भीतर, प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मरों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 5. लेबल के संप्रदर्शन की रीति -(1) लेबल वितरण ट्रांसफार्मर के सामने के आधार पर नाम पट्टिका के निकट लगाया जाएगा जिससे वह प्रमुख रूप से दिखाई दे।

अनुसूची


(विनियम 3(2) देखिए)

वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियों के ब्यौरे — लेबल डिज़ाईन (अभिकल्प), आकार, रंग योजना और लेबल की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित सम्मिलिल होगा—

(i) लेबल का निम्नलिखित विमाओं वाली डिजाइन, अर्थात्-



(ii) लेबल के लिए रंग योजना निम्नलिखित होगी, अर्थात्



(iii) ब्यूरो के लोगो (प्रतीक चिह्न) के लिए निम्नलिखित रंग योजना होगी, अर्थात्


नीला:-

रंगत (H) — 239° संतृप्तता (S) : 64% चमकीलापन (B) 59% ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक —a:24b:54 लाल (L):54 हरा (G):55 नीला (B): 151 स्यान (C): 97% मैजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1% वेब रंग कोड — #363797

हरा:--

रंगत (H) — 150° संतृप्तता (S) : 10% चमकीलापन (B) 67% ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक —a:53b:32 लाल (L):0 हरा (G):170 नीला (B): 87 स्यान (C): 81% मैजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1% वेब रंग कोड — #00AA56

(iv) वितरण ट्रांसफार्मर के लिए मुद्रित लेबल का पूर्ण नमूना निम्नलिखित होगा, अर्थात् :-



(2). लेबल की सामग्री, मौसमरोधी एवं न छूटने योग्य होगी।

अजय माथुर, महानिदेशक [विज्ञापन-III/4/185/09-असा.]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2009

No. 2/11(5)/03-BEE.-3.-Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009, were published *vide* notification number 2/11(5)/03-BEE.-3, dated 12th January, 2009,in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 12th January 2009, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on the 12th January, 2009;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of subsection (2) of section 58 read with clause(d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;
 - (b) "distribution transformer" means the transformer which is oil immersed, naturally air cooled, three phased, double wound, nonsealed ,out door distribution transformer of standard ratings of 16, 25,

- 63, 100, 160 and 200 kVA of 11 kV which is manufactured or commercially purchased or sold in India;
- (c) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, the distribution transformer;
- (d) "section" means the section of the Act;
- (e) "star rating or star level" means the level of energy efficiency displayed on the label of distribution transformer on the basis of relative energy efficiencies or loss standards which is the total losses at fifty percent. loading and hundred percent. loading of the distribution transformer.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Particulars to be displayed on the labels.- (1) On every distribution transformer the following particulars shall be displayed on its label, namely:-
 - (a) the Logo of the Bureau of Energy Efficiency;
 - (b) that the equipment is a distribution transformer;
 - (c) that it is a oil filled, naturally cooled type;
 - (d) name of the manufacturer and brand;
 - (e) capacity in kVA as tested;
 - (f) voltage is upto 11kV;
 - (g) total losses at 50% loading in watts;
 - (h) total losses at 100% loading in watts;
 - (i) star level;
 - (i) model and year of manufacturing:
 - (k) Bureau's authorisation number.
- (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Time limit for display of Labels.- A label containing particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every distribution transformer within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
- Manner of display of label.- The label shall be affixed on the front base of the distribution transformer near the name plate, so as to be prominently visible.


2478 GI/09-3

Schedule


[See regulation 3(2)]

Details of particulars to be displayed on labels of Distribution Transformer.

- (1) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include:-
 - (i) the following dimensional design of label, namely:-



(ii) the following colour scheme for the label, namely:-



(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%


Luminance or lightness(L):61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56:

(iv) the following complete specimen of a printed label for distribution transformer, namely:-



(2) Material of the label shall be of non-detachable weather proof type.

AJAY MATHUR, Director General [ADVT.-III/4/185/09/Exty.]